संख्या-116/2022/508/58-2-2022-70/2011

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उ0प्र0, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊःदिनांकः 26 सितम्बर, 2022**

विषयः. नवसृजित जनपद शामलीए हापुड़ तथा सम्भल के कार्य संचालन हेतु स्वीकृत अस्थाई पदों को स्थाई किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित अस्थायी पदों को दिनांकः01.03.2022 से स्थाई पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2. उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार महँगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हें अनुमन्य हों, भी देय होंगे।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थाई पदों के दिनांकः 01.03.2022 से स्थाई पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक के कॉलम-6 के उल्लिखित शासनादेश संख्या-114/58-2-2021-70/2011, दिनांकः 22.02.2021 को, जिसमें इन पदों को वर्ष 2021 में दिनांकः 28.02.2022 तथा अस्थाई रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता केवल दिनांकः 28.02.2022 तक के लिए ही दी गयी थी।

4. उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-10 के सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थाईकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-797/दस-87-24 (12)-86, दिनांक 25 मई, 1987 में निहित सभी शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।
संलग्नकः. यथोक्त।

भवदीय,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-116/2022/508(1)/58-2-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः.

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेशए इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) जिला अधिकारी, शामली/हापुड/सम्भल।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1
(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(6) गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in